UPJS010024942012

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2, झाँसी।

उपस्थितः देवाशीष (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(आई०डी०–UP1596)
निर्णय तिथि–28.07.2026
सत्र परीक्षण संख्या–294/2012

शिकायतकर्ता	एस०ओ० श्री आनन्द विजय सिंह, थाना रक्सा, जिला झाँसी/उत्तर प्रदेश राज्य
अभियुक्तगण	1. मानू उर्फ मानवेन्द्र पुत्र राजाराम पाल, निवासी–ग्राम ढिकौली, थाना रक्सा, जिला झांसी। 2. लाल सिंह पुत्र स्व० हेमलाल ठाकुर, निवासी–मेहर बाबा का मकान सिविल लाइन, थाना नवाबाद, जिला झांसी। 3. सचिन पुत्र किशोरी लाल योगी, निवासी–आर.बी.II 801 बी रेलवे कालोनी, थाना प्रेमनगर, जिला झांसी। 4. राम प्रताप पुत्र मनोरे लाल, निवासी–ग्राम छिरावली, थाना कोटरा, जिला जालौन। 5. रक्षपाल पुत्र हनुमंत सिंह, निवासी–ग्राम ढिकौली, थाना रक्सा, जिला झांसी। 6. कौशल पुत्र सिरनाम यादव, निवासी–मोहल्ला मोरारी नगर, थाना सीपरी बाजार , जिला झांसी। **(दौरान विचारण मुकदमा मृत्यु)** 7. दिनेश पुत्र रामकिशन राजपूत, निवासी–आरा मशीन बी.एच.ई.एल., थाना बबीना, जिला झांसी। 8. रामसहाय उर्फ अड़ियल पुत्र तेज सिंह यादव, निवासी–ग्राम खोड़न, थाना रक्सा, जिला झांसी।
अन्तर्गत धारा	धारा–147, 148, 307/149 भा०दं०सं०
मुकदमा अपराध संख्या	326/2011
थाना	रक्सा
जिला	झाँसी।

एवं

Digitally signed by DEVASHISH
Date: 2026.07.28 17:02:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPJS010024952012

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2, झाँसी।

उपस्थित: देवाशीष (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(आई०डी०–UP1596)

निर्णय तिथि–28.07.2026

सत्र परीक्षण संख्या–295/2012

शिकायतकर्ता	एस०ओ० श्री आनन्द विजय सिंह, थाना रक्सा, जिला झाँसी/उत्तर प्रदेश राज्य
अभियुक्तगण	मानू उर्फ मानवेन्द्र पुत्र राजाराम पाल , निवासी–ग्राम ढिकौली, थाना रक्सा, जिला झांसी।
अन्तर्गत धारा	धारा–25 आयुध अधिनियम
मुकदमा अपराध संख्या	331/2011
थाना	रक्सा
जिला	झाँसी।

एवं

UPJS010029892012

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2, झाँसी।

उपस्थित: देवाशीष (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(आई०डी०–UP1596)

निर्णय तिथि–28.07.2026

सत्र परीक्षण संख्या–296/2012

शिकायतकर्ता	एस०ओ० श्री आनन्द विजय सिंह, थाना रक्सा, जिला झाँसी/उत्तर प्रदेश राज्य
अभियुक्तगण	लाल सिंह पुत्र स्व० हेमलाल ठाकुर, निवासी–मेहर बाबा का मकान सिविल लाइन, थाना नवाबाद, जिला झांसी।
अन्तर्गत धारा	धारा–25 आयुध अधिनियम
मुकदमा अपराध संख्या	332/2011
थाना	रक्सा
जिला	झाँसी।

एवं

UPJS010029902012

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2, झाँसी।

उपस्थित: देवाशीष (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(आई०डी०–UP1596)

निर्णय तिथि–28.07.2026

सत्र परीक्षण संख्या–297/2012

शिकायतकर्ता	एस०ओ० श्री आनन्द विजय सिंह, थाना रक्सा, जिला झाँसी/उत्तर प्रदेश राज्य
अभियुक्तगण	सचिन पुत्र किशोरी लाल योगी, निवासी–आर.बी.II 801 बी रेलवे कालोनी, थाना प्रेमनगर, जिला झांसी।
अन्तर्गत धारा	धारा–25 आयुध अधिनियम
मुकदमा अपराध संख्या	333/2011
थाना	रक्सा
जिला	झाँसी।

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकरण विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त मु०अ०सं०–294/2012 के मामले में अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, राम प्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश एवं राम सहाय उर्फ अड़ियल के विरुद्ध धारा –147/148/149/ 307/34 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–331/2011 के मामले में अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–332/2011 के मामले में अभियुक्त लाल सिंह के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम तथा मु०अ०सं०–333/2011 के मामले में अभियुक्त सचिन के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप पत्रों के आधार पर परीक्षण हेतु योजित किये गये हैं।

2– प्रथम सूचक/वादी मुकदमा प्रभारी आनन्द विजय सिंह थाना रक्सा की जुबानी सूचना के अनुसार दिनांक–12.10.2011 को वादी मुकदमा मय हमराही एस०आई० अख्तर अहमद व 679 अनिल कुमार व कां० 1043 कय्यूम खाँ, कान्स० 1062 महेश चन्द्र मय जीप सरकारी UP93L–4498 मय चालक भगवानदास के थाना हाजा से वहवाले रपट नं०–14 समय 12.15 बजे वास्ते विवेचना व तलाश अपराधी मु०अ०सं०–325/11 धारा–379 भा०दं०सं० व 26 वन अधिनियम में रवाना होकर कस्बा रक्सा में पुनावली तिराहे पर मौजूद

था, जहां पर मामूर मुखबिर ने आकर सूचना दी कि ग्राम ढिकौली की तरफ से एक काले रंग की बुलेरो गाड़ी में पीताम्बरा बाग से चंदन के काटे गये पेड़ों की लकड़ी लेकर बदमाश बाहर जाने वाले हैं जिनके पास नाजायज असलहा व चरस भी है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मैं मय हमराही के रवाना गवाहान श्री भरत रावत पुत्र श्री स्व०राम रतन हमराही निवासी–444 नई बस्ती, थाना कोतवाली, जिला ललितपुर व जगदीश यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी–राजघाट कॉलोनी, थाना कोतवाली दतिया व रामसेवक मौर्या पुत्र भगवान दास मौर्या निवासी –1576 अम्बेडकर नगर तालपुरा, थाना नवाबाद, झाँसी को मकसद बताकर साथ लिया तथा हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नजायज वस्तु नहीं है। मैं एस०ओ० मय हमराही फोर्स, मुखबिर मय गवाहन के ढिकौली तिराहे के पहले जीप व मोटरसाइकिल को रोड किनारे खड़ी करके सिंचाई विभाग के बोर्ड की आड़ लेकर तथा हमराही कर्मचारी को हिदायत देकर आड़ लेकर खड़ा करके हम आने वाली गाड़ी का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर में ढिकौली की तरफ से एक काले रंग की बुलेरो आती दिखाई दी। मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है जिसे हम लोगों ने इशारा करके रुकवाया, जिसमें बैठे आठ बदमाश उतरकर ढिकौली की तरफ भागने लगे और बदमाशों ने एक राय होकर ललकारा कि मारो गोली पुलिस है, नहीं तो पकड़े जाओगे। इस पर दो बदमाशों ने हम पुलिसवालो को जान से मारने की नीयत से फायर किया। हम लोग गाड़ी की आड़ लेकर बचे और एक बारगी दबिश देकर समय 14.00 सात बदमाशों को पुलिया से करीब 70 कदम की दूरी पर पकड़ लिया तथा एक बदमाश राम सहाय उर्फ अड़ियल मौके से भागने में सफल रहा, जिनका नाम पता पूछते हुए समक्ष हमराही व गवाहान के जामा तलाशी ली गयी तो चार बदमाशों ने बताया कि हमारे पास चरस है तो उनसे कहा गया कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देना चाहो तो बुला लिया जाये। इस पर चारों ने कहा कि हम लोग पकड़े गये हैं तो आप ही हमारी जामा तलाशी ले लो हमें आप पर भरोसा है, जिस पर अलग से जामा तलाशी का सहमति पत्र तैयार किया गया। जब मेरे द्वारा नाम पता पूछते समक्ष हमराही व गवाहान की गई तो एक ने अपना नाम मानू उर्फ मानवेन्द्र पुत्र राजपाल सिंह ग्राम ढिकौली थाना रक्सा बताया, जिसके कब्जे से पेन्ट की दाहिनी जेब से कागज में लिपटी 250 ग्राम चरस बरामद हुई तथा दाहिने हाथ से एक 315 बोर का तमंचा तथा एक खोखा कारतूस तथा एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम लाल सिंह बताया जिसकी जामा तलाशी से एक गुलाबी पॉलीथीन के अन्दर अखबारी कागज में लिपटी हुई 250 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई तथा एक 315 बोर तमंचा जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा पैन्ट की बांयी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सचिन बताया जो बुलेरो UP93L–4498 का चालक है जिसकी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक गुलाबी पॉलीथीन में अखबारी कागज में लिपटी हुई 250 ग्राम चरस नाजायज तथा पैन्ट की दाहिनी फैट से एक अदद 315 बोर तमंचा व बांयी जेब से तीन अदद 315 बोर कारतूस बरामद हुए। चौथे ने अपना नाम राम प्रताप बताया जिसके पहने कुर्ता की दाहिनी जेब से हल्की पीली पॉलीथीन में अखबारी कागज में लिपटी हुई 200 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। बरामद तमंचों का हुलिया एक सा है, नाल लोहा सात अंगुल बॉडी पीतल पांच अंगुल, बट पीतल चार अंगुल जिसमें दोनों तरफ चाप स्क्रू कसे है, ट्रेगर पट्टी तथा नाल को खोलने व बंद

करने के लिए दोनों तरफ पीतल की रिपिट लगी है। हुलिया कारतूस 315 बोर पीतल, पेन्दी पर 9 एमएम लिखा है तथा पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम अपना नाम रक्षपाल पुत्र हनुमत सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम ढिकौली, थाना रक्सा, जिला झांसी बताया। छठें ने अपना नाम कौशल पुत्र सिरनाम यादव, निवासी–मोहल्ला मोरारी नगर, हाजी पम्प, थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी बताया। सातवें ने अपना नाम दिनेश पुत्र रामकिशन राजपूत निवासी –आरा मशीन बी०एच०ई०एल०, थाना बबीना, जिला झांसी बताया तथा चालक सचिन उपरोक्त से बुलेरो गाड़ी के कागजात, डीएल तलब करने पर बताया कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। गाड़ी में पीछे दो सफेद बोरियों में करीब 53 किग्रा० चन्दन की लकड़ी बरामद हुई। पकड़े गये सातों बदमाशों ने मजीद पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक–6/7.10.2011 की रात में पीताम्बरा बाग डेली पाली मार्ग से हम लोगों ने व हमारे साथी लालू अहिरवार पुत्र तिज्जू अहिरवार, अशोक पुत्र गया प्रसाद, संजीव पुत्र बब्लू, जय हिन्द पुत्र गया प्रसाद, हीरू पुत्र गया प्रसाद, कैलाश साहू पुत्र धर्मदास साहू, राव साव पुत्र त्रिवेन्द्र सिंह ठाकुर, कुलदीप खंगार पुत्र बृजलाल तथा राम सहाय पुत्र अड़ियल के साथ मिलकर 21 पेड़ चन्दन के काट कर लकड़ी राम सहाय उर्फ अड़ियल व कैलाश साहू ने बेचा था। हम लोगों को पन्द्रह–पन्द्रह हजार रुपया हिस्सा में मिला था तथा 14 पेड़ चन्दन के कटे पड़े हैं, जिनको हम लोग पीताम्बरा बाग से उठा नहीं पाये थे, जो चन्दन की बड़ी लकड़ी थी वो बेची जा चुकी है। शेष बची लकड़ी जो पकड़ी गयी वह हम आज बेचने जा रहे थे कि पकड़े गये। मौके पर कारण गिरफ्तारी माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए बताया गया कि आप लोगों ने जुर्म धारा– 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम मानू उर्फ मानवेन्द्र , लाल सिंह, सचिन तथा राम प्रताप तथा 25 आर्म्स एक्ट में मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह व सचिन आदि 16 नफर का चालान बकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया व जाता है। बरामद चरस अभियुक्त मय तमंचा कारतूस अभियुक्त कब्जा पुलिस लेकर तफ्तीशी से तराजू बाट निकालकर चारों अभियुक्त से बरामद चरस 50–50 ग्राम तौलकर सफेद मोलिया में उसी अखबारी कागज में लपेटकर वास्ते नमूना परीक्षण हेतु किया गया। अभियुक्तगण से बरामद तमंचा, कारतूस व बरामद चरस तथा नमूना हेतु निकाली गयी चरस को सफेद कपड़े में अलग–अलग रखकर सील मुहर कराकर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा दोनों बोरी जिसमें चन्दन की लकड़ी रखी है, उन्ही बोरियों का मुंह बांधकर सील कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बुलेरो गाड़ी को अलग से 207 एम०वी० एक्ट में कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये। गिरफ्तारी की सूचना थाने से उनके परिजनों को भिजवायी जावेगी। मौके पर फर्द बोल–बोलकर एसआई श्री अख्तर अहमद थाना रक्सा, झांसी से लिखवायी गयी। फर्द लिखकर पढ़कर, सुनाकर हमराही व गवाहान के हस्ताक्षर बनवाये गये, उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये गये और सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र को फर्द की कार्बन प्रति दी गयी।

3– उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र , लाल सिंह, सचिन, राम प्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश तथा राम सहाय के विरूद्ध मु०अ०सं०– 326/2011 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307/34 भा०दं०सं० व अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के विरूद्ध मु०अ०सं० –331/2011 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त लाल सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं० –332/2011 अन्तर्गत धारा–25 आयुध

अधिनियम तथा अभियुक्त सचिन के विरूद्ध मु०अ०सं०–333/11 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना रक्सा, जिला झांसी में पंजीकृत किया गया।

4– उक्त मुकदमा पंजीकरण के पश्चात विवेचक के द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ कर सम्बन्धित साक्षीगण की साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये गये। विवेचना के दौरान संकलित किये गये वादी व गवाहान के बयान तथा अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मु०अ०सं०–326/2011 के मामले में अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, राम प्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश तथा राम सहाय के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147,148,149,307/34 भा०दं०सं० एवं मु०अ०सं०–331/2011 के मामले में अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा –25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–332/2011 के मामले में अभियुक्त लाल सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–333/2011 के मामले में अभियुक्त सचिन के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा –25 आयुध अधिनियम न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–10, झाँसी में प्रेषित किये गये, जिन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5– अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा–207 दं०प्र०सं० के अनुसार अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदत्त करने के उपरान्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले को अनन्यतः सत्र परीक्षणीय पाते हुये सत्र सुपुर्दगी आदेश द्वारा माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित की गयी, जिनके आधार पर सत्र न्यायालय जनपद झाँसी में क्रमशः सत्र परीक्षण सं० –294/2012 सरकार बनाम मानू उर्फ मानवेन्द्र आदि, सत्र परीक्षण सं०–295/2012 सरकार बनाम मानू उर्फ मानवेन्द्र, सत्र परीक्षण सं०–296/2012 सरकार बनाम लाल सिंह, सत्र परीक्षण सं०–297/2012 सरकार बनाम सचिन के रूप में प्रश्नगत सत्र परीक्षण संस्थित हुए तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार उपरोक्त चारों सत्र परीक्षण वाद की पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई हैं, जिन पर विचारणोपरान्त निर्णय पारित किया जा रहा है।

6– प्रश्नगत मामलों में दिनांक 13.12.2012 को सत्र परीक्षण संख्या–294/2012 में अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, राम प्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश तथा राम सहाय के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–307/149, 147, 148 भा०दं०सं०, दिनांक 13.12.2012 को सत्र परीक्षण संख्या–295/2012 में अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, दिनांक 19.02.2013 को सत्र परीक्षण सं०–296/2012 में अभियुक्त लाल सिंह के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम, दिनांक 19.02.2013 को सत्र परीक्षण सं०–297/2012 में अभियुक्त सचिन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की। **दौरान विचारण मुकदमा अभियुक्त कौशल की मृत्यु हो जाने के आधार पर अभियुक्त कौशल पुत्र सिरनाम निवासी–मुरारी नगर, थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी हाल निवासी–अंजनी नगर, राजगढ़ हंसारी, थाना प्रेमनगर, जिला झांसी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित की गई है।**

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी के रुप में प्रस्तुत साक्षीगण निम्नवत हैं–

साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**	**साबित प्रपत्र**
पी०डब्लू०–1	सेवानिवृत्त एस० आई० अख्तर अहमद	फर्द साक्षी	प्रमाणित छायाप्रति फर्द बरामदगी
पी०डब्लू०–2	निरीक्षक राजेश यादव	फर्द साक्षी	–
पी०डब्लू०–3	निरीक्षक विजय सिंह	विवेचक	सत्र परीक्षण सं० –294/12 में प्रेषित आरोप पत्र
पी०डब्लू०–4	से०नि० उ०नि० राज करन शुक्ला	एफ०आई० आर० लेखक	प्रमाणित छायाप्रति चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रमाणित प्रति कायमी जी०डी०, विनष्टीकरण आख्या, सत्र परीक्षण सं० – 295/12, 296/12, 297/12 में प्रेषित आरोप पत्र

8– अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये प्रपत्रों की सूची निम्न टाईपशुदा है–

प्रपत्र प्रकार	**प्रदर्श संख्या**
प्रमाणित छायाप्रति फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1
सत्र परीक्षण सं०–294/12 में आरोप पत्र	प्रदर्श क–2
प्रमाणित प्रति चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
प्रमाणित प्रति कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–4
विनष्टीकरण आख्या	प्रदर्श क–5
सत्र परीक्षण सं०–295/12 में आरोप पत्र	प्रदर्श क–6
सत्र परीक्षण सं०–296/12 में आरोप पत्र	प्रदर्श क–7
सत्र परीक्षण सं०–297/12 में आरोप पत्र	प्रदर्श क–8

तत्पश्चात दिनांक–16.01.2025 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया तथा पत्रावली अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गई।

9– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत व झूठा होना बताते हुए गवाह पी०डब्लू०–1 द्वारा झूठा व गलत बयान देने एवं कोई बरामदगी न होना कहा है। पी०डब्लू०–2 के बयान को गलत व झूठा बताया है। पी०डब्लू०–3 के बयान को गलत व दूषित विवेचना कर झूठा आरोप

पत्र दाखिल करना कहा है तथा पी०डब्लू०–4 के बयान को गलत बताया है। अभियुक्त दिनेश ने सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया है तथा अभियुक्तगण रक्षपाल, मानू उर्फ मानवेन्द्र, सचिन, कौशल, लाल सिंह, राम प्रताप, राम सहाय ने सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए अपने बचाव में डी०डब्ल्यू० –1 कृष्णपाल सिंह को परीक्षित कराया है। अभियुक्तगण ने अतिरिक्त कथन में अपने आपको निर्दोष बताया है तथा अभियुक्त दिनेश राजपूत ने अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि मुझे मेरे घर से पकड़कर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया है।

10– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11– आपराधिक वाद में अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। न्याायलय को यह निर्णीत करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभिुक्त को विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल राह है?

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक–12.10.2011 को समय 14.00 बजे व स्थान–पुलिया वहद ग्राम ढिकौली थाना रक्सा जिला झांसी में अभियुक्तगण ने घातक हथियारों तमन्चों से लैस होकर बल्वा कारित करते हुए जान से मारने की नीयत से साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थितियों में पुलिस पार्टी पर फायर किया, यदि आपके इस कृत्य से पुलिस पार्टी के किसी सदस्य की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह व सचिन के कब्जे से तीन अदद तमन्चे 315 बोर व 5 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।

13– अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण अन्तर्गत धारा –147,148,307/149 भा०दं०सं० तथा धारा–25 आयुध अधिनियम के अतर्गत किया जा रहा है।

14– प्रकरण में कुल 04 साक्षीगण की साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। सर्वप्रथम साक्षीगण के साक्ष्य को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा।

15– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–1 सेवानिवृत्त उ०नि० अख्तर अहमद** ने शपथपूर्वक अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– मैं दिनांक 12.10.2011 को थाना रक्सा मे बतौर एस.आइ. के पद पर कार्यरत था। मै एस.ओ. आनन्द विजय के साथ व कां० अनिल कुमार, कय्यूम खाँ, महेश चन्द मय जीप सरकारी UP93L–4498 मय चालक भगवादास रपट नं०–14 समय 12.15 बजे क्षेत्र में वास्ते विवेचना तलाश मुल्जिमान अपराध सं०–325/11 धारा–379,411 भा०दं०सं० व 26 वन अधिनियम रवाना होकर कस्बा रक्सा में पुनावली तिराहे पर मौजूद था। वहीं पर एस०आई० राजेश कुमार सिंह पुलिस चौकी प्रभारी मसीहागंज हमराही 1823 मुहम्मद असलम अपनी मिनी मोटरसाईकिल से मिले। वहां पर आये मुखबिर ने सूचना दी कि बाग से चंदन की काटी गयी लकड़ी लेकर बाहर जाने की फिराक में है। उनके पास नाजायज असलहा हो सकता है। जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। बदमाश ग्राम ढिकौली की तरफ वाले रास्ते में बुलेरो गाडी मे पीताम्बर बाग से चंदन की लकडी लेकर आने वाले है। इस सूचना पर एस.ओ. आनन्द विजय व हमराहियो ने विश्वास करके गवाहान भरत रावत, जगदीश यादव, रामसेवक को मकसद बताया। हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर यह इत्मीनान किया कि किसी

के पास नाजायज वस्तु नहीं है। तिराहे के पूर्व रोड किनारे जीप चालक व मोटरसाकिल को खडी करके एस.ओ. साहब द्वारा सिंचाई विभाग के बोर्ड की आड लेकर दूसरी तरफ पुलिया पर एस.आइ. राजेन्द्र कुमार व कां० आलम को हिदायत देकर खड़ा किया था। थोडी ही देर में बुलेरो गाडी आती दिखायी दी। मुखबिर ने इशारा किया कि यही गाडी है। इशारा करके रूकवाया तो इसमे बैठे बदमाश उतर कर ढिकौली की तरफ भागे तो हमने ललकारा तो बदमाश एक राय होकर हम पुलिस वालों को देखकर कहने लगे पुलिस वाले पकड लेंगे, इनको गोली मार दो, इस पर दो बदमाशों ने हम लोगों के उपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। हम त्वरित गाडी की आड में हो लिए, इसलिए बच गए तथा दबिश देकर समय 14.00 बजे पकड लिए। सात बदमाशों को पकडा लिया था। पुलिया से 70 कदम की दूरी पर पकड लिया था तथा एक बदमाश राम सहाय उर्फ अडियल मौके से भागने मे सफल रहा। पकडे गए बदमाशों की हमराहियों ने तलाशी लेना चाही तो उनमें से चार बदमाशों ने बताया कि हम लोगों के पास चरस है। उनसे कहा गया कि आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हो। इस पर चारों ने हम लोग पकडे गए है आप लोग ही तलाशी ले सकते हो। मुल्जिमों की जामा तलाशी ली गयी एवं सहमति पत्र लिखा गया। एक ने अपना नाम मानू उर्फ मानवेन्द्र बताया, के कब्जे से पहने पेंट से एक गुलाबी पॉलीथीन के अन्दर 250 ग्राम चरस बरामद हुयी। और 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ, जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ था। बायी जेब से एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था। दूसरे ने अपना नाम लाल सिंह बताया, से दाहिने पैंट की जेब से एक गुलाबी पॉलीथीन से 250 ग्राम चरस बरामद हुयी थी। दाहिने हाथ से 315 बोर तमंचा, एक खोखा कारतूस व पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था। तीसरे ने अपना नाम सचिन बताया, जो बुलेरो गाडी UP93L–0615 का चालक है, इसके दाहिने पैन्ट की जेब से गुलाबी पॉलीथीन में 250 ग्राम चरस बरामद हुयी। पहने पेट के फैट से 315 बोर का तमंचा व बाई तरफ की जेब से 3 अदद कारतूस बरामद हुए थे। चौथे ने अपना नाम राम प्रताप बताया, जिसके पहने कुर्ता की जेब से हल्की पीली पॉलीथीन से 200 ग्राम चरस बरामद हुयी थी। मुल्जिमों से बरामद की हुलिया फर्द में है व चालू हालत में है। तमंचो में से कारतूसो को अलग किया गया। पाचवें ने अपना नाम रक्षपाल, छठवें ने अपना नाम कौशल व सातवें ने अपना नाम दिनेश बताया था। गाड़ी चालक सचिन से गाडी के कागजात तलब किए गए तो उसने कहा कि हमारे पास कागजात नहीं है। गाडी में पीछे दो सफेद बोरियों में करीब 53 किलोग्राम चन्दन की लडकी बरामद हुयी थी। बदमाशों से पूछताछ की गयी तो बताया कि 6/7.10.2011 की रात पीताम्बरा बाग से हम लोगों ने हमारे साथी लालू अहिरवार व अशोक, संजीव, जयहिन्द, धीरज, कैलाश, धर्मदास, रामसहाय, कुलदीप, राम सहाय उर्फ अडियल के साथ मिलकर 21 पेड चन्दन के काटकर राम सहाय उर्फ अडियल व कैलाश साहू ने बेचा था। हम लोगों को 15–15 हजार रूपये हिस्से में मिला था। 14 पेड चंदन के कटे पडे हुए है, हम लोग उन्हें उठा नही पाये थे। चन्दन की बडी लकडी बेची जा चुकी है। शेष लकड़ी को बेचने जा रहे थे तो हम लोग पकडे गए हैं तथा उक्त व्यक्तियो को हिरासत में लिया गया। बरामद चरस, अभियुक्त मय तमंचा, कारतूस कब्जा पुलिस मे लेकर तफ्तीशी बैग से तराजू व बांट निकाल कर चारों अभियुक्तों से बरामदशुदा चरस 50–50 ग्राम तोडकर सफेद मोमिया मे अखबारी कागज मे लपेटकर वास्ते नमूना परीक्षण हेतु लिया गया। चरस को सफेद कपडे में रखकर सीलमुहर कराकर नमूना मुहर तैयार किए गए। दोनों

बोरियों में चन्दन की लकडी रखी हुयी बोरियों का मुंह बांधकर सील मुहर किया गया तथा बुलेरो गाडी को कब्जे पुलिस में लिया गया। मौके पर फर्द एस.ओ. आनन्द विजय सिंह द्वारा बोल–बोल कर मेरे द्वारा फर्द तैयार करायी गयी एवं फर्द पर सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र को फर्द की कार्बन प्रति दी गयी। फर्द पर एस.ओ. आनन्द विजय के हस्ताक्षर है एवं हमराहियान महेशचन्द, मु० असलम, कां० कयूम खा, कां० अनिल कुमार एवं फर्द पर अभियुक्तगण के मौके पर हस्ताक्षर कराये गये। मूल फर्द व मूल सहमति पत्र स्पेशल केस नं०–183/11 सरकार बनाम सचिन धारा–18/20 एनडीपीएस एक्ट, मु०अ०सं०–329/11 थाना रक्सा जो न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी झांसी के न्यायालय में विचाराधीन है, जो पत्रावली मे कागज सं०–5 ए/1 व 5 ए/2 मूल फर्द के आधार पर, जो मूल फर्द न्यायालय में है, उसकी छायाप्रति मूल फर्द से प्रमाणित करता हूं, जो पत्रावली में पेश कर रहा हूं, जो कागज सं०–135 ए/1 व 135 ए/2 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया। इस स्तर पर सर्वमुहर माल तमंचा मानू उर्फ मानवेन्द्र के कब्जे से बरामदशुदा 315 बोर तमंचा एवं खोखा कारतूस 315 बोर तथा पेंट की बायी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सर्वमुहर माल में निकला। तमंचा जो चालू हालत में बरामद किया था, सील मुहर सफेद कपडे पर देखकर कहा कि इस पर आनन्द विजय के हस्ताक्षर है। सर्वमुहर कपडे पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। 315 बोर तमंचा पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। 315 बोर जिन्दा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–3** तथा खोखा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–4** डाला गया। अभियुक्त लाल सिंह के सर्वमुहर माल जो सफेद कपडे में सील मुहर है, उसको खोलकर देखा। इस पर मु०अ०सं०–337/11 पर मेरे लेख में है, हस्ताक्षर आनन्द विजय के है, इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। कपडे की सफेद सील मुहर पर **वस्तु प्रदर्श–5** तथा 315 बोर तमंचा पर **वस्तु प्रदर्श–6** व 315 बोर जिन्दा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–7** एवं खोखा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–8** डाला गया। 315 बोर का तमंचा बरामदगी के समय चालू हालत में था। अभियुक्त सचिन के कब्जे से बरामदशुदा तमंचा कारतूस सर्वमुहर माल खोलकर देखा गया। सर्वमुहर कपड़े पर मु०अ०सं०–333/11 बनाम सचिन सर्वमुहर कपडे पर एसओ आनन्द विजय के हस्ताक्षर है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–9** डाला गया। तमंचा पर **वस्तु प्रदर्श–10** तथा कारतूसों पर **वस्तु प्रदर्श–11, 12 व 13** डाला गया। बरामदगी के समय बरामद तमंचा चालू हालत में है।

16– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि– मुझे मुखबिर से सूचना 12 तारीख को मिली थी। समय व स्थान मुझे ध्यान नहीं है। मैं सन् 2013 में सेवानिवृत्त हो चुका हूं। मुखबिर से मिली सूचना को कहीं पर दर्ज नहीं किया गया था। मैंने मुखबिर से मिली सूचना को आरटी सैट से उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया था। सूचना एसओ साहब को मिली थी। मुखबिर ने जिस स्थान पर सूचना दी थी वह स्थान कागज पर लिखा है। सूचना का स्थान मैं नहीं बता सकता। एसओ तथा मुखबिर की कितनी देर तक बातचीत हुई, मैं नहीं बता सकता। सूचना मिलने के बाद हम लोग ढिकौली की तरफ जा रहे थे। ढिकौली किस विकास खण्ड में पड़ती है मुझे मालूम नहीं है। सूचना मिलने के स्थान से किस दिशा में पड़ती है मुझे मालूम नहीं है। जीप में, मैं पीछे बैठा था। जीप पुलिस की थी, जीप का नंबर याद नहीं है। जीप को कौन कां० ड्राइवर चला रहा था मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि रिटायरमेंट होने के बाद मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। यह कहना सही है कि ब्रेन

ट्यूमर होने के वजह से तथ्यों तथा वाक्यातों की सही जानकारी नहीं रह गयी है। कितने बजे तथा कहां पर फायरिंग हुई है मुझे समय याद नहीं है। किस दिशा से गोलियां चली मुझे यह भी याद नहीं है। जिस समय गोलियां चली उस समय मैं पुलिस जीप पर नहीं था, आड़ पर था। गोली चलते समय मेरे साथ 2–3 लोग थे और लोग कहां थे, किस दिशा में थे मुझे याद नहीं है। गोलियां लगभग 5–10 मिनट चलती रही, किसने कितने राउण्ड फायर किये मुझे याद नहीं है। सब गोलियां जीप को टारगेट करके नहीं चली हैं, पुलिसकर्मियों को टारगेट करके चली थी। जीप पर बदमाशों द्वारा किये गये फायर के निशान नहीं आये थे। हम लोग बोर्ड की आड़ में थे, बोर्ड का साइज 6x1.5 फुट था। जमीन से 5 फुट की ऊचाई पर बोर्ड गड़ा था। बोर्ड एंगिल पर गड़ा था, बोर्ड किस का था तथा क्या लिखा था मुझे मालूम नहीं है। बोर्ड के पीछे हम 2–3 लोग छिपे थे। बोर्ड के पीछे हम लोग खड़े हुए थे, जहां पर हम लोग छिपे थे, वहां से बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। फायरिंग होने के बाद हम लोग भी वापिस आ गये थे। थाने कितने बजे पहुंच गये थे, समय याद नहीं है। यह कहना गलत है कि किसी मुल्जिम से कोई कट्टा या कारतूस बरामद न हुआ हो। यह कहना गलत है कि कोई पुलिस मुठभेड़ न हुई हो। यह कहना गलत है कि समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी हो। यह कहना गलत है कि रमेश शर्मा के कहने से व उसके दबाव में पुलिस ने झूठी व फर्जी कार्यवाही की हो, मुल्जिमानों को झूठा फंसाया हो। यह कहना गलत है कि आज मैं झूठा बयान दे रहा हूं।

17– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत **साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश यादव पुत्र** ने शपथपूर्वक अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– दिनांक 12.10.2011 को मैं उपनिरीक्षक पद पर चौकी इंचार्ज मसीहागंज थाना सीपरी बाजार में तैनात था। इसी दिन मैं अपने हमराही कां० असलम के साथ पुनावली तिराहे पर पहुंचा था। जहां पर एसओ रक्सा आनन्द विजय सिंह मय फोर्स के मौजूद थे। उसी समय मुखबिर ने सूचना दी कि ढिकौली की तरफ से एक बुलेरो गाडी काले रंग की जिसमें कुछ बदमाश पीताम्बरा बाग से चन्दन चोरी की लकडी लेकर बाहर जाने वाले है, उनके पास अवैध असलहा व चरस भी है। मुखबिर की सूचना व जनता के गवाहान फराहम किए गए एवं मय गवाहान के आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया गया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। हम सब पुलिस वाले वहीं पुलिया पर सिंचाई विभाग के बोर्ड की आड लेकर बुलेरो का इंतजार करने लगे। थोडी देर में ढिकौली की तरफ से काले रंग की बुलेरो आती दिखायी दी कि मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यहीं बुलेरो गाडी है। बुलेरो के नजदीक आने पर गाडी को रूकवाया तो गाडी में से आठ बदमाश उतर कर एक राय होकर बोले कि पुलिस वाले है। गोली मारो नहीं तो पकडे जायेंगे। जिस पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किए कि पुलिस पार्टी ने एक बारगी दबिश देकर सात बदमाशों को मौके पर ही पकड लिया था। जबकि एक बदमाश रामसहाय उर्फ अडियल मौके से भाग गया था। पकडे गए बदमाशों से पूछताछ व जामा तलाशी ली गयी थी, जिसमें एक ने अपना नाम मानू उर्फ मानवेन्द्र बताया जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस व एक अदद तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा खोखा व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था। दूसरे ने अपना नाम लाल सिंह बताया, जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस एक तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम सचिन बताया था जिसके कब्जे से 250 ग्राम चरस व एक अदद तमंचा 315 बोर व तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए थे। चौथे ने अपना नाम राम

प्रताप बताया, जिसके कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद हुआ। पाचवें ने अपना नाम रक्षपाल बताया। छठवें ने अपना नाम कौशल यादव बताया था तथा सातवें ने अपना नाम दिनेश बताया था। बुलेरो चालक सचिन था। बुलेरो गाडी में पीछे दो बोरी में 53 किलो चन्दन की लकडी बरामद हुयी थी। पूछताछ पर सभी बदमाशों ने बताया था कि दिनांक 6/7.10.2011 की रात में हम सभी लोगो द्वारा व हमारे अन्य साथियो द्वारा पीताम्बरा बाग से चन्दन की लकडी चोरी की थी, जिसमें बाकी लकडी बेची जा चुकी है। शेष बची हुयी लकडी बेचने जा रहे थे मौके पर पकडे गए है। अभियुक्तगण से बरामद तमंचा कारतूस व चन्दन की लकडी को अलग–अलग सील मुहर किया गया था। फर्द मौके पर एसओ आनन्द विजय सिंह ने बोल–बोल कर एसआई अख्तर अहमद से लिखवायी थी। फर्द लिख पढकर हम सभी पुलिस वालो एवं गवाहान तथा अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये गए थे। फर्द की एक एक प्रति सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ मानू को दी गयी थी। तत्पश्चात अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लेकर व बरामद माल को कब्जे पुलिस मे लेकर थाना रक्सा में ले जाकर दाखिल किया था एवं तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। फर्द बरामदगी पर मैंने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। फर्द बरामदगी पत्रावली पर कागज सं० –135 ए/1 लगायत 135 ए/2 के साथ में मौजूद है, जो छायाप्रति अख्तर अहमद के द्वारा प्रमाणित की गयी है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूं, जिसे लाल पेन से घेरा गया है, फर्द पर पूर्व से ही प्रदर्श क–1 डला हुआ है। मुकदमे के विवेचक द्वारा मेरा बयान अंकित किया गया था।

18– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि– बरामदशुदा माल आज मेरे सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। थाने से रवानगी की जीडी की नकल पत्रावली में संलग्न नहीं है। यह मुझे इस समय याद नहीं है कि घटनास्थल पर मैं कितने बजे गया था। भरत रावत, जगदीश यादव व रामसेवक मौर्य जनता के गवाह घटनास्थल पर मौजूद थे। मसीहागंज चौकी से घटनास्थल की दूरी लगभग 15–20 किमी है। मैं चौकी से जुर्म जरायम रोकने, तलाश वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए निकला था। 200 मीटर की दूरी से मुखबिर ने बताया था कि काले रंग की गाड़ी से बदमाश आ रहे हैं। जब मुखबिर ने बताया उस समय जनता के गवाहन उपरोक्त तीनों मेरे पास थे। वे लोग वहीं पर मौजूद थे। बदमाशों को सबसे पहले एसओ श्री आनन्द विजय सिंह ने रोका था। मैं उनसे 10 कदम की दूरी पर था। आगे पीछे का ध्यान नहीं है लेकिन उनसे मैं लगभग 10 कदम की दूरी पर था। मैं घटनास्थल पर दो पहिया वाहन से गया था। जनता के गवाह पूर्व से वहां पर मिले थे। वे जनता के गवाह एसओ से मिले थे, मुझसे नहीं मिले थे। पहले रोका–टोका तो बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से दो फायर किये थे। कुल बदमाश 8 थे, सात पकड़े गये थे और एक भाग गया था। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों पर कोई फायर नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि बदमाशों पर पुलिस पार्टी ने कोई फायर न किया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाई गयी हो। यह मुझे जानकारी नहीं है कि मुल्जिमानों के परिवार वालों ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी थी या नहीं। दिनेश से कोई असलहा या कारतूस बरामद नहीं हुआ था। मैं घटनास्थल पर बुलाया नहीं गया था, मैं स्वंय अपराधियों की तलाश में रवाना हुआ था। किस अपराध सं० की तलाश में मैं मामूर था याद नहीं है, लेकिन चन्दन तस्कर के बाबत तलाश में मामूर था। चंदन की लकड़ी रमेश चन्द्र शर्मा के पास से चोरी हुई। उस समय वह बीएसपी से विधायक थे या नहीं। यह बात सही है कि

उस समय बीएसपी की सरकार थी। मैंने घटना के 6–7 दिन बाद चंदन तस्करी के मुल्जिम को पकड़ लिया था। झूठी कोई बात नहीं है कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा बीएसपी समथर के विधायक इस कारण दबाव में मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हुई थी। मैं कभी चंदन की लकड़ी की चोरी जिस बगीचे से हुई थी वहां नहीं गया था। मैं इस चंदन की लकड़ी की चोरी का विवेचक नहीं था। मुझे कप्तान साहब ने मौखिक रुप से अपराध के निवारण हेतु लगाया था, इसकी कोई जीडी पत्रावली पर नहीं है। मुझे लगाये जाने का जीडी में कोई इन्द्राज नहीं है, मुझे मौखिक रुप से लगाया गया था। मैं जब दिनांक 12.10.2011 को रवाना हुआ था तो मैंने जीडी में चंदन की लकड़ी के वांछित मुल्जिमानों को पकड़ने जा रहा हूं, इसका इन्द्राज नहीं किया था। यह बात सही है कि आज मैंने पहली बार यह बताया है कि दिनांक 12.10.2011 को चंदन की लकड़ी चोरी के अपराधियों को पकड़ने के लिए गया। यह बात सही है कि मैंने अपने 161 दं०प्र०सं० के बयानों में भी उक्त बात का जिक्र नहीं किया था। मुझे याद नहीं है कि चंदन के बगीचे में कितने पेड़ चोरी हुए थे। मैंने चोरी की जगह का कोई नक्शा नहीं बनाया था। मैं बगीचे में असलम के साथ गया था। गाड़ी में कितने पेड़ो के टुकड़े थे मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि बीएसपी के विधायक का राजनैतिक दबाव होने के कारण मुल्जिमानों को गलत तरीके से पकड़कर जेल भिजवाने में पुलिस का सहयोग किया था। मैंने 379/411 वाले मुकदमे में चोरी की लकड़ी पकड़ी थी। इसमें विवेचक विजय सिंह नहीं थे। मुझे लिखित रुप से चंदन की लकड़ी की पकड़ करने का कोई आदेश नहीं हुआ था। मेरे पास कोई तहरीर थाने पर नहीं दी गयी थी। गाड़ी नजदीक आने पर हम लोगों ने गाड़ी को रुकवाया तो उसमें से कुछ बदमाश उतरे। ये आठ लोग जैसे ही उतरे तो मुझे मालूम चला कि यह लोग बदमाश है। इसके बाद मुल्जिमानों ने कहा कि पुलिस वाले हैं गोली मारो। उक्त सभी मुल्जिमानों को पकड़ने से पहले नहीं जानता था। पुलिस वालों पर फायर मानू उर्फ मानवेन्द्र व लाल सिंह ने किये थे। गोली किसी को नहीं लगी थी और किस जीप में लगी थी मुझे याद नहीं है। जब मुल्जिमानों को पकड़ा गया था तब मौके पर सात पुलिस वाले थे, सातों लोग एक साथ एक जगह खड़े थे। सातों लोगों को टारगेट करके फायर किया था। उक्त बदमाश हमसे 50–100 मीटर की दूरी पर थे। मुल्जिमान बुलेरो से कहां जा रहे थे यह नहीं बताया था। बगीचा दूसरी दिशा में है और मुल्जिमान दूसरी दिशा से आये थे। मैंने मुल्जिमानों के बताये जाने पर रमेश शर्मा के बगीचे से चंदन की लकड़ी की चोरी मान ली थी। इसके अलावा रमेश शर्मा के बगीचे की चंदन की लकड़ी होने का कोई प्रपत्र पत्रावली में नहीं है। मुल्जिमानों ने 50 मीटर की दूरी से टारगेट करके पुलिस वालों पर गोली चलाई थी जो किसी के नहीं लगी थी लेकिन यह लोग पेशेवर बदमाश नहीं थे, लेकिन पुलिस पार्टी पर ही टारगेट करके गोली चलाई गयी थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा पुलिस पार्टी पर कोई गोली न चलाई गयी हो। चरस मुल्जिमानों के कब्जे से बरामद हुआ था लेकिन इतनी सारी चरस लेकर कहां जा रहे थे यह नहीं बताया था। मुझे नहीं पता कि लाल सिंह व राम सहाय तथा सचिन ने किस किस रंग के कपड़े पहने थे। मुल्जिमानों को दोपहर दो बजे पकड़ा गया था। मुल्जिमान कहां पकड़े गये थे वह रास्ता ढिकौली के लिए जाता है। वहां कौन–कौन गांव पड़ते हैं मुझे नहीं पता है। मुल्जिमान ढिकौली की तरफ से आ रहे थे। मुल्जिमान जहां पकड़े गये थे वह चालू रास्ता है। मुझे मुल्जिमान का 15–20 मिनट रुककर इंतजार करना पड़ा था। आस–पास के लोगों से पूछा था कोई तैयार नहीं हुआ था। ढिकौली में थोक में चरस मिलती है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। यह बात सही है कि

किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने मुल्जिमानों की जामा तलाशी नहीं ली गयी थी। मुल्जिमानों को पकड़ने के बाद मैं थाने आ गया था। मैंने किस मुल्जिम को पकड़ा था इस समय याद नहीं है। मैं घटनास्थल पर अपनी मोटरसाइकिल से गया था, मुझे उसका नंबर याद नहीं है। यह कहना गलत है कि कथित घटनास्थल से कोई मुल्जिमान न पकड़े गये हो और न ही ऐसी कोई घटना घटित हुई हो तथा लाल सिंह व सचिन से कोई वस्तु बरामद न हुई हो। यह कहना गलत है कि मैंने घटनास्थल न देखा हो और पुलिस के अधिकारियों द्वारा मेरा नाम लिखा दिया गया हो। यह कहना गलत है कि पुलिस पार्टी द्वारा तत्कालीन बीएसपी समथर के विधायक के दबाव में आकर मुल्जिमानों के खिलाफ झूठी कार्यवाही की हो। यह कहना सही है कि कथित बरामदशुदा मूल फर्द मेरे सामने है और न ही उसकी कोई प्रति पत्रावली में शामिल है। मौके से कोई छर्रा व टिकली आदि प्राप्त नहीं हुई थी। यह बात सही है कि उपरोक्त पत्रावली में जो एफआईआर की प्रति प्रस्तुत की गयी है उसमें मु०अ०सं० –326/11 लगायत 333/11 लगभग आठ मुकदमे पंजीकृत किये गये थे। जिन असलहों से पुलिस पार्टी पर फायर करना बताया है वह आज मेरे सामने नहीं है। मैंने कथित व बरामदशुदा तमंचे को स्वंय चलाकर देखा था कि चालू हालत में है या नहीं है, इस बात का उल्लेख फर्द में किया गया था या नहीं मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि आज अदालत में मु०अ०सं० –336/11 की कथित घटना व बरामदगी के बावत झूठा बयान दिया हो। यह कहना गलत है कि वैसी घटना घटित न हुई हो और विवेचक ने भी उक्त के बाबत में कोई बयान अंकित न किया हो। कथित घटना के समय मैं चौकी मसीहागंज इंचार्ज थाना सीपरी बाजार में तैनात था, थाने पर तैनात नहीं था। कथित फर्द के अलावा अन्य कोई दीगर रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी थी। हम लोग गिरफ्तारी के समय व बरामदगी के समय फौजदारी व पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हैं। मुल्जिमानों का रिमाण्ड मेरे द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि आज अदालत में कथित फर्द की बरामदगी व गिरफ्तारी के बावत झूठा बयान दियो हो और कथित फर्द की झूठी शिनाख्त की हो। रक्षपाल की जामातलाशी से कोई नजायज वस्तु बरामद होना नहीं पायी जाती है। बरामदशुदा लकड़ी जामा तलाशी से बरामद नहीं हुई थी। लकड़ी को मौके पर तौला गया था। लकड़ी को फिर तराजू व बांट से तौला गया था, वह एसओ साहब की गाड़ी में रखा था। बरामदशुदा चरस व लकड़ी को एक ही तराजू से तौला गया था। बरामदशुदा लकड़ी को मौके पर ही सील मुहर किया गया था, किसने सील मुहर किया था याद नहीं है। फर्द एसएचओ महोदय ने बोल बोलकर अख्तर अहमद से लिखाई थी। बरामदशुदा माल आज मेरे सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। लकड़ियां संख्या में कितनी थी याद नहीं है और न ही संख्या वाली बात फर्द में अंकित है। घटनास्थल पर दिन के पौने दो बजे पहुंच गये थे। घटनास्थल से कितने बजे थाने वापिस आये थे समय याद नहीं है। बरामदशुदा बुलेरो घटनास्थल से थाने तक कौन चलाकर लाया था आज मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त रक्षपाल से संयुक्त रुप से कोई चंदन की लकड़ी बरामद न हुई हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को घर से पकड़कर लाया गया हो और थाना हाजा पर बैठकर सारी कार्यवाही की गयी हो। यह कहना गलत है कि न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूं।

19– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–3 निरीक्षक विजय सिंह** ने शपथपूर्वक अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– मैं दिनांक 30.11.2011 को थाना बबीना में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था कि मु०अ०सं० – 326/11 धारा–

147,148,149, 307,34 भा०दं०सं० की विवेचना थानाध्यक्ष बबीना के आदेश पर मुझ उपनिरीक्षक को अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुयी। इसी दिन मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पूर्व किता केस डायरी प्राप्त कर उसका अवलोकन कर विवेचना ग्रहण कर मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त रामसहाय उर्फ अडियल का बयान होना शेष अंकित कर पर्चा सं० –9 किता किया था। पर्चा सं० 10 दिनांक 02.12.2011 को किता गया, जिसमें बयान फर्द गवाह उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, आरक्षी मोहम्मद असलम पुनः बयान वादी, थानाध्यक्ष रक्सा आनन्द विजय सिंह के साथ अन्य फर्द गवाह आरक्षी कय्यूम खां, उपनिरीक्षक अख्तर अहमद, फर्द गवाह भरत रावत, जगदीश यादव व रामसेवक मौर्य का बयान अंकित कर न्यायालय जे०एम० द्वितीय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त रामसहाय उर्फ अडियल का बयान अंकित कर बयान वादी, बयान फर्द गवाह, निरीक्षण घटनास्थल व बरामदगी नाजायज असलहा के आधार पर अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश, रामसहाय उर्फ अडियल के विरूद्ध धारा –147,148,149, 307,34 भा०दं०सं० बखूबी साबित होने के आधार पर उक्त धारा में ही अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोपपत्र सं० – 148/11 दिनांक 02.12.11 माननीय न्यायालय प्रेषित किया था। आरोपपत्र पत्रावली पर कागज संख्या–3 ए के रूप में मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं अपने हस्ताक्षर की व उक्त आरोपपत्र की शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

20– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि– मैंने विवेचना दिनांक 30.11.2011 को ग्रहण की थी। इस मुकदमे से संबंधित माल मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा। अभियुक्तगण से बरामद आयुध अधिनियम की अभियोजन स्वीकृति मेरे द्वारा नहीं ली गयी, संबंधित विवेचक ने ली होगी। फर्द बरामदगी से संबंधित गवाहों के बयान थाना रक्सा व चौकी मसीहागंज में मेरे द्वारा लिया गया था। मैंने बरामदगी के गवाहों के बयान अंकित किये थे, बरामद माल मैंने नहीं देखा। पूर्व विवेचक का मेरे द्वारा बयान भी अंकित किया गया था। पूर्व विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी से संबंधित माल मैंने नहीं देखा। मैंने दौरान विवेचना फर्द गवाहों के बयान के आधार पर व बरामदगी गवाहों के बयानों के आधार पर मैंने मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त दिनेश राजपूत के विरूद्ध न्यायालय में साक्ष्य न मिलने के कारण भी झूठा आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो। यह कहना गलत है कि मैंने जो भी बयान दर्ज किये हों वह थाने में बैठकर दर्ज किये हो। यह कहना सही है कि जब यह मामला पंजीकृत हुआ एवं मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी, उपरोक्त मामले के वादी श्री आनन्द विजय सिंह थानाध्यक्ष रक्सा के पद पर नियुक्त थे। यह कहना सही है कि जब मुझे इस मामले की विवेचना मिली और मैंने विवचना की, उस वक्त मैं थाना बबीना में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। यह कहना सही है कि जब मैंने इस मामले की विवेचना की श्री आनन्द विजय सिंह एस०ओ० रक्सा थे, मैं उपनिरीक्षक था। इस मामले में पूर्व में कौन विवेचक था, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि मैंने जब इस मामले में विवेचना ग्रहण की तो केस डायरी प्राप्त करके उसका अवलोकन किया था। पूर्व विवेचकों के बयान अंकित नहीं किये थे और न ही कोई इस संबंध में पूछतांछ की थी। यह कहना सही है कि मैंने अपने बयान खास में यह नहीं बताया है कि पूर्व विवेचकों द्वारा क्या और कितनी विवेचना की गयी थी। यह कहना सही है कि मैंने अपने बयान खास में फर्द के गवाहन के बयान लेना अंकित किये थे, उसमें फर्द किस सन्दर्भ में थी , यह नहीं बताया है। मेरे द्वारा उपरोक्त

मामले में निरीक्षण घटनास्थल नहीं किया गया था। मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में माल मुकदमा के अवलोकन के बारे में भी नहीं बताया है। माल मुकदमाती आज मेरे सामने नहीं है। यह कहना गलत है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते एवं अपने अधिकारियों एवं तत्कालीन राजनैतिक दवाब के कारण झूठी विवेचना की हो और झूठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया हो। यह कहना भी गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ।

21– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राजकरन शुक्ला** ने शपथपूर्वक अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– मैं दिनांक 12.10.2011 को थाना रक्सा में कां० मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को मेरे द्वारा उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं०–4ए/1 लगायत 4ए/4 के रूप में प्रमाणित छायाप्रति के रूप में मौजूद है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क– 3** डाला गया। उपरोक्त मुकदमें का खुलासा मेरे द्वारा जीडी संख्या 16 में किया था। प्रमाणित जीडी पत्रावली पर कागज सं०–5ए/1 लगायत 5ए/2 के रूप में मौजूद है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। मूल जीडी नष्ट हो चुकी है, जिसकी नष्टीकरण आख्या पत्रावली पर कागज सं०–103बी के रूप में मौजूद है, जिसकी मै शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। उक्त मुकदमे के विवेचक विजय सिंह मेरे साथ तैनात रहे है। मैंने उनको लिखते पढते देखा है। मैं उनके हस्ताक्षर को भली भांति जानता पहचानता हूं। पत्रावली सं०–295/12 पर मौजूद कागज सं०–3ए जो कि आरोपपत्र है, जिस पर विजय सिंह के हस्ताक्षर है। मैं उक्त आरोपपत्र की व अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। पत्रावली संख्या–296/12 पर मौजूद कागज सं०–3ए जो कि आरोपपत्र है, जिस पर विजय सिंह के हस्ताक्षर है। मैं उक्त आरोप पत्र की व अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। पत्रावली संख्या–297/12 पर मौजूद कागज सं०–3ए जो कि आरोप पत्र है जिस पर विजय सिंह के हस्ताक्षर हैं, उक्त आरोप पत्र की व अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

22– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि– मैंने चिक एफ०आई०आर० प्रभारी स्टेशन ऑफीसर के आदेश पर लिखी थी। अभियुक्तगण से बरामद माल मैंने देखा था। मुताबिक फर्द माल देखा था, खोलकर नहीं देखा। इसकी जी०डी० नष्ट हो चुकी है। मैंने चिक एफ०आई०आर० फर्द बरामदगी के आधार पर 12.10.2011 को अंकित की थी। यह बात सही है कि प्रदर्श क–3 में वादी के हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि मैंने वादी के प्रभाव में झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर दी हो। मैं सन् 2011 से लगभग 5 साल तक थाना रक्सा में तैनात रहा था। इस समय मुझे यह याद नहीं है कि एफ०आई०आर० दर्ज होने के कितने समय के अन्दर न्यायालय प्रेषित की जाती है। यह बात सही है कि एफ०आई०आर० दर्ज होने के बाद सी०ओ० व सक्षम न्यायालय के हस्ताक्षर अंकित किए जाते हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श क–3 पर सी०ओ० के व सक्षम न्यायालय के न तो कोई मुहर है और न हस्ताक्षर हैं। फर्द के साथ मुझे कथित बरामदगी के सम्बन्ध में दरोगा जी के द्वारा कोई जब्ती के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं दिए थे और न ही उसका कोई उल्लेख मुकदमा कायमी जी०डी० में किया गया था। मैं जब्ती प्रमाणपत्र के बारे में समझता हूँ। एफ०आई०आर० व जी०डी० के सम्बन्ध में मेरे बयान दर्ज किए गये थे। विवेचक ने भी बयानों

के समय मुझसे फर्द के साथ– साथ जब्ती प्रमाणपत्र के बारे में नहीं पूंछा था। यह कहना गलत है कि उक्त एफ०आई०आर० एन्टीटाईम एन्टीडेटेड हो। यह भी कहना गलत है कि आज अदालत में प्रदर्श क–3, 4, 5 के लेख हस्ताक्षर व सकूनत के बाबत झूठा बयान दिया हो। यह भी कहना गलत है कि विवेचक ने मेरा कोई बयान न लिया हो। प्रदर्श क–4 विनष्टीकरण रिपोर्ट मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है। विनिष्टीकरण रिपोर्ट किसके द्वारा कब तैयार की गई, मैं यह नहीं बता सकता। प्रदर्श क–3, कागज सं०–4ए/1 लगायत 4ए/4 की मूल प्रति कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। यह विनिष्ट हुई है या नहीं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। इसका मूल से प्रमाणीकरण कब व किसके द्वारा किया गया था, यह मैं नहीं बता सकता। विवेचक विजय सिंह द्वारा आरोप पत्र कब कहाँ तैयार किया था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मेरे सामने तैयार नहीं किया था। विवेचक विजय सिंह द्वारा किन–किन साक्ष्य को सक्षम पाते हुए किन–किन धाराओं के सापेक्ष अपराध घटित होना पाते हुए किस निष्कर्ष के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया था, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता। विवेचक विजय सिंह द्वारा मुझे कभी अपने हस्ताक्षर अथवा हस्तलेख का कोई नमूना नहीं दिया गया था। यह कहना सही है कि मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताया है कि विवेचक विजय सिंह मेरे साथ किस थाने में व किस तारीख से किस तारीख तक किस पद पर तैनात रहे हैं। मैंने हस्तलेख विशेषज्ञ एवं हस्ताक्षर विशेषज्ञ का कोई कोर्स किया है और न ही में हस्तलेख व हस्ताक्षर विशेषज्ञ हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी के हूबहू हस्ताक्षर बना दे तो मैं असली नकली का अन्तर नहीं कर सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने प्रदर्शों की झूठी शिनाख्त की हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने झूठे प्रदर्श किता किए हों एवं मैं न्यायालय के समक्ष सरकारी कर्मचारी होने के नाते अभियोजन के पक्ष में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

23– बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी **डी०डब्लू०–1 कृष्णपाल सिंह** ने शपथपूर्वक अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– मैं ग्रामसभा ढिकौली का 2000 से 2005 तक व वर्ष 2015 से 2020 तक दो पंचवर्षीय में प्रधान रहा था। इस बीच मेरी पत्नी श्रीमती नन्ही राजा भी वर्ष 2010 से 2015 तक ढिकौली से प्रधान रही हैं। हाजिर अदालत रक्षपाल को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं। हाजिर अदालत रक्षपाल को 11.10.2011 में दोपहर 12.00 बजे रक्सा थाने के उस समय के एस०ओ० आनन्द विजय सिंह व छोटे दरोगा अख्तर अहमद रक्सा थाने की पुलिस के साथ जीप से मेरे गाँव आये थे और हाजिर रक्षपाल को पूछताछ करने की बात कहकर थाने ले गये थे, तब मैंने एस०ओ० साहब से पूंछा था कि किस कारण से आप पकड़कर ले जा रहे हो तो उन्होंने कहा था कि झाँसी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व बुन्देलखण्ड राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री श्री रमेश शर्मा ने थाने पर कुछ शिकायत की है, जिसके सिलसिले में पूछताछ करनी है व जल्द ही छोड़ देंगे। जब रक्षपाल शाम को वापस नहीं आये तो रक्षपाल के पिता के कहने पर उनके साथ मैं थाना रक्सा गया था तब थाने पर दरोगा जी ने बताया था कि नेता जी रमेश शर्मा का अत्यधिक दवाब है, इसलिए रक्षपाल को रात में और रोकना पड़ेगा, सुबह सी०ओ० साहब के आने पर बातचीत के बाद छोड़ देंगे। इसके बाद भी रक्षपाल को छोड़ा नहीं गया था तब मैं रक्षपाल के पिता के साथ पुनः अगले दिन 12.10.2011 को रक्सा थाने गया था तो दरोगा जी बोले कि शर्मा जी का बहुत ज्यादा दवाब है, इस कारण लिखा– पढ़ी करनी पड़ी है अब आप रक्षपाल को अदालत से छुड़वा लेना। इस मुकदमे में रक्सा पुलिस द्वारा रक्षपाल को गलत तरीके से फंसाया

गया था। इस मुकदमे से पूर्व व बाद में रक्षपाल पर कभी भी कोई मुकदमा नहीं चला। रक्षपाल मेरे ही गाँव के खेती करने वाले सीधे सच्चे आदमी हैं व उन्हें जनमत से सरकारी कन्ट्रोल की दुकान भी मिली हुई है।

24– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि– यह बात सही है कि आज मैंने जो मुख्य परीक्षा में बयान दिया है, इसके पहले मैंने यह बयान व बात आज तक किसी उच्च अधिकारी को लिखित रूप से नहीं बताई है। मैं रक्षपाल से मिलने जेल में कभी नहीं गया हूं। यह बात सही है कि मैं सी०ओ० साहब का नाम नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि रक्षपाल मेरे गांव का है, जिस कारण मैं उसे बचाने के उद्देश्य से सही बात न बताकर आज उसके पक्ष में बयान देने आया हूं। यह कहना गलत है कि दिनांक–11.10.2011 को दोपहर करीब 12.00 बजे रक्सा थाने के उस समय के एस०ओ० आनन्द विजय सिंह व छोटे दरोगा अख्तर अहमद रक्सा थाने की पुलिस के साथ जीप से मेरे गांव आये न हो और न ही हाजिर अदालत रक्षपाल को पूछताछ करने की बात कहकर थाने ले गये हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे सामने उपरोक्त रक्षपाल को अपने साथ ले जाने वाली घटना न घटी हो।

निष्कर्ष

25– प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष को **विनिश्चायक बिन्दु** के रूप में यह साबित करना है कि दिनांक 12.10.2011 को समय करीब 14.00 बजे, स्थान पुलिया वहद ग्राम ढिकौली थाना रक्सा जिला झांसी अन्तर्गत थाना रक्सा, जिला झांसी में अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश व रामसहाय उर्फ अडियल ने एक साथ मिलकर तमंचे से लैस होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में जान से मारने की नीयत से साशय या ज्ञानपूर्वक ऐसी परिस्थितियों में पुलिस पार्टी पर फायर किया, यदि उनके इस कृत्य से पुलिस पार्टी के किसी सदस्य की मृत्यु कारित हो जाती तो वे हत्या के अपराध के दोषी होते तथा उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त लाल सिंह के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय खोखा कारतूस नाल में लगा हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त सचिन के कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर व 3 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद किये गये।

26– प्रस्तुत मामले में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे स्तर तक साबित करने के अपने दायित्व के निर्वहन में सफल रहा है?

27– अभियोजन का तर्क है कि प्रश्नगत मामला पुलिस पार्टी पर तमन्चे से फायर कर जानलेवा हमले एवं अवैध तमंचे, कारतूसों की बरामदगी से सम्बन्धित है। अभियुक्तगण द्वारा सम्मलित रूप से एकराय होकर पुलिस टीम पर सार्वजनिक स्थान पर हमला कारित किया गया है जिसे अभियोजन के साक्षीगणों ने मौखिक साक्ष्य से संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन कथानक की घटना संदेह से परे साबित है जिस कारण अभियुक्तगण आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है, जिसका कोई युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं किया

गया। घटना बनावटी एवं रंजिशन त्रुटिपूर्वक कथानक दर्शाते हुये आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। साक्षियों के बयानों में गंभीर विरोधाभाष प्रकट हुआ है जो सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद दर्शित करता है।

28– पक्षों के उपर्युक्त मौखिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष ने बचाव का सर्वप्रथम आधार विलम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट को बनाया है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष का कहना है कि घटना दिनांक 12.10.2011 को दोपहर 14.00 बजे की है, किन्तु वादी ने सोची समझी साजिश के तहत तहरीर सोच समझकर दिनांक 12.10.2011 को शाम 16.00 बजे थाने में प्रस्तुत की है और विलम्बित प्रथम रिपोर्ट दिनांक 12.10.2011 को शाम 16.40 बजे दर्ज की गई है। विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 2 कि०मी० बताई गई है, जो किसी न किसी स्तर पर अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न कर रहा है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित नहीं है, बल्कि घटनास्थल की थाने से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए जो भी विलम्ब हुआ है वह सद्भाविक है तथा किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

29– इस सम्बन्ध में साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा। फर्द बरामदगी लेखक साक्षी सेवानिवृत्त एस०आई० अख्तर अहमद ने बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि मुझे मुखबिर से सूचना 12 तारीख को मिली थी, समय व स्थान मुझे ध्यान नहीं है।.............सूचना एस०ओ० साहब को मिली थी।.........फायरिंग होने के बाद हम लोग थाने वापस आ गये थे, थाने कितने बजे पहुंचे गये थे, समय याद नहीं है। इसी सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी सं०–2 निरीक्षक राजेश यादव ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ....मसीहागजं चौकी से घटनास्थल की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है।.......मुल्जिमानों को पकड़ने के बाद मैं अपने थाने आ गया था। उपरोक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वे घटनास्थल सरकारी वाहन व मोटरसाईकिल से घटनास्थल पर गये थे। फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस टीम ने घटना की तिथि पर समय 14.00 बजे अभियुक्तगण को पकड़ लिया था तथा सम्पूर्ण लिखत–पढ़त, फर्द बरामदगी इत्यादि तैयार करने में समय लगा था। अभियोजन के अनुसार घटना की तिथि पर समय 14.00 बजे के बाद पुलिस पार्टी ने सम्पूर्ण कार्यवाही की तत्पश्चात् वह सरकारी वाहन से मय बरामद माल मुकदमाती व अभियुक्तगण के थाने पर पहुंचे। स्पष्ट है प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी तिथि दिनांक 12.10.2011 को समय 16.00 बजे दर्ज करायी गयी ,जो कि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र दो किमी० बतायी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित नहीं है तथा जो विलम्ब हुआ भी है वह सद्भाविक है।

30– उल्लेखनीय है प्रस्तुत मामला पुलिस पार्टी द्वारा दर्ज कराया गया है और सभी साक्षीगण भी पुलिस कर्मी है, जिनके द्वारा एस०ओ० आनन्द विजय सिंह, जो तात्कालिक समय में थाना रक्सा, झाँसी में तैनात थे, के नेतृत्व में एस०आई० अख्तर अहमद, कां० 679 अनिल कुमार, कां० 43 कय्यूम खाँ, कान्स० 1062 महेश चन्द एवं सरकारी गाड़ी के चालक भगवानदास तथा एस०आई० राजेश कुमार सिंह, कां० 823 मो० असलम के साथ दिनांक 12.10.2011 को मुखबिर खास की सूचना पर घटनास्थल पर पहुँचकर समुचित कार्यवाही की

गई, जिसके क्रम में मौके से अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस आदि बरामद किया गया, परन्तु पुलिस टीम की उक्त रवानगी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साक्ष्य रवानगी जी०डी० न तो विवेचक ने विवेचना में बतौर साक्ष्य सकंलित की है और न ही न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जिसे प्रस्तुत किया जाना अभियोजन पक्ष का दायित्व व आवश्यक था। उक्त जी०डी० रवानगी ऐसा साक्ष्य था जो अभियोजन को आसानी से उपलब्ध हो सकता था और अभियोजन के पक्ष में इस तथ्य को साबित कर सकता था कि कथित पुलिस पार्टी घटना तिथि 12.10.2011 व समय 12.15 बजे थाना से रवाना होकर मौके पर पहुंची। ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को पेश न किया जाना अभियोजन के विरूद्ध उपधारणा लिये जाने का आधार हो सकता है।

31– कथित रवानगी जी०डी० के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अपनी मुख्य परीक्षा में बतौर पी०डब्लू०–1 परीक्षित होते हुए फर्द गवाह अख्तर अहमद ने रवानगी जी०डी० के बारे में कथन किया है कि ....वह, एस०ओ० आनन्द विजय के साथ व अनिल कुमार, कय्यूम खाँ, महेश चन्द मय जीप सरकारी मय चालक भगवानदास रपट नं०–14 समय 12.15 बजे क्षेत्र में वास्ते विवेचना तलाश मुल्जिमान अपराध सं० –325/11 धारा–379,411 भा०दं०सं० व 26 वन अधिनियम रवाना होकर कस्बा रक्सा में पुनावली तिराहे पर मौजूद था। वहीं पर एस०आई० राजेश कुमार सिंह पुलिस चौकी प्रभारी मसीहागंज हमराही 1823 मुहम्मद असलम अपनी मिनी मोटरसाईकिल से मिले। वहां पर आये मुखबिर ने सूचना दी।............. स्पष्ट है कि फर्द गवाह ने मुख्य परीक्षा में जी०डी० का उल्लेख तो किया है , किन्तु उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया है, जोकि अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक दस्तावेज था तथा पुलिस टीम की रवानगी को साबित करने का सर्वप्रथम भार भी वादी मुकदमा व अन्य फर्द साक्षियों पर अधिरोपित था।

32– यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अन्य साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश यादव, जो पुलिस टीम के सदस्य थे, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में रवानगी जी०डी० का कोई भी खुलासा नहीं किया है, बल्कि बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि ....थाने से रवानगी की जी०डी० की नकल पत्रावली में संलग्न नहीं है.........मैं चौकी से जुर्म जरायम रोकने तलाश वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए निकले थे। 200 मीटर की दूरी से मुखबिर ने बताया था कि काले रंग की गाड़ी से बदमाश आ रहे हैं............. स्पष्ट है कि पुलिस टीम को घटनास्थल पर पहुँचने से पूर्व ही वादी को मुखबिर से मुल्जिमानों की उपस्थिति की सूचना मिल गई थी तो ऐसी स्थिति में यह अपरिहार्य था कि आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुलिस पार्टी रवानगी जी०डी० के आवश्यक इन्द्राज करते हुए घटनास्थल पर पहुंचती, किन्तु थाने से रवाना होने की कोई रवानगी जी०डी० पत्रावली पर संलग्न नहीं है, जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध प्रदर्शित कर रहा है।

33– इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य रवानगी जी०डी० के संबंध में अत्यधिक भ्रामक एवं संदेहास्पद साक्ष्य प्रस्तुत किया है। फर्द साक्षी अख्तर अहमद ने मुख्य परीक्षा में रवानगी जी०डी० का तो

उल्लेख किया है, किन्तु अभियोजन द्वारा ऐसी कोई जी०डी० अभिलेख पर उपलब्ध कराकर अभियोजन साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं करायी गयी तथा विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी रवानगी जी०डी० को अभिलेख पर उपलब्ध न होने का तथ्य प्रकट रूप से स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मूल केन्द्र प्रभावित हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **"2005 क्रिमि.एल.जे. 2741 मथुरा प्रसाद बनाम स्टेट आर्फ यू०पी० 22 फरवरी, 2005"** विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि The prosecution did not bring on record the G.D. i.e G.D.No 17, by which the police party set out from the police station for search of some wanted criminals. It was a very important piece of document which would have assurance to their presence in village Rathigaon................ Therefore, the entire allegation has been a play to cover up the whole drama. स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय की उपर्युक्त विधि व्यवस्था के आलोक में रवानगी जी०डी० महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कर साबित किया जाना अभियोजन से अपेक्षित था।

34– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पुलिस दल द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय धारा–50 ए दं०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण की गिरफ़्तारी की सूचना उनके परिजनों को थाने से दी जायेगी, परन्तु उनके द्वारा अभियोजन कार्यवाही के उपरांत थाने वापस आ कर गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के किसी रिश्तदार या परिजन को दी गयी हो, ऐसा कोई तथ्य अभियोजन कथानक में प्रकट नहीं किया गया है और न ही अभियोजन द्वारा इस बाबत कोई मीमो अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2 द्वारा अपने सशपथ दिये गये बयानों में साबित कराया गया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत **जोगिंदर कुमार बनाम उ०प्र० राज्य 1994(4) एस०सी०सी० पेज 260** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के रिश्तेदार या घर वाले को सूचना दे कर गिरफ्तारी मेमो पर उसके हस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक है और इस बात का उल्लेख केस डायरी में भी किया जाना जरूरी है, परन्तु न तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत जी०डी० में ऐसा उल्लेख पाया गया है और न किसी अभियोजन साक्षी के बयान में इस तरह का उल्लेख मिलता है जिससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर हो रहा है कि पुलिस दल द्वारा धारा–50 ए दं०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

35– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 12.10.2011 को समय 14.00 बजे पुलिया वहद ग्राम ढिकौली थाना रक्सा जिला झांसी से अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, कौशल, दिनेश गिरफ्तार किये गये तो जामातलाशी में अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र से एक अदद नाजायज तमंचा व एक जिंदा व खोखा कारतूस, अभियुक्त लाल सिंह की जामातलाशी से एक अदद नाजायज तमंचा व एक जिंदा व खोखा कारतूस, अभियुक्त सचिन की जामा तलाशी से एक अदद नाजायज तमंचा व तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन की जामातलाशी से बरामद नाजायज तमंचे व कारतूसों के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि

पुलिस कर्मचारीगण ने गिरफ्तारी व जामातलाशी के समय भरत रावत, जगदीश यादव व राम सेवक मौर्या को गवाह बनाया है, परन्तु अभियोजन की ओर से उक्त स्वतन्त्र साक्षीगण भरत रावत, जगदीश यादव व राम सेवक मौर्या को अभियोजन कथानक के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा एस०ओ० आनन्द विजय सिंह को भी अभियोजन कथानक व अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता के सम्बन्ध में परीक्षित नहीं कराया गया है।

36– बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 फर्द साक्षी अख्तर अहमद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ....मौके पर फर्द एस.ओ. आनन्द विजय सिंह द्वारा बोल–बोल कर मेरे द्वारा फर्द तैयार करायी गयी एवं फर्द पर सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र को फर्द की कार्बन प्रति दी गयी।................ प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि....................मुखबिर से मिली सूचना को कही पर दर्ज नहीं किया था। मैंने मुखबिर से मिली सूचना को आर०टी० सेट से उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया था।.......सूचना का स्थान मैं नहीं बता सकता। एस०ओ० तथा मुखबिर की कितनी देर बातचीत हुई, मैं नहीं बता सकता।.....ढिकौली किस विकासखण्ड में पड़ती है, मुझे मालूम नहीं है। सूचना मिलने के स्थान से किस दिशा में पड़ती है, मुझे नहीं मालूम है। जीप में मैं पीछे बैठा था। जीप का नम्बर याद नहीं है। जीप को कौन कानि० ड्राईवर चला रहा था, मुझे याद नहीं है।.......कितने बजे तथा कहां पर फायरिंग हुई, मुझे समय याद नहीं है। किस दिशा से गोलियां चली, मुझे यह भी याद नहीं है। जब गोलियां चली, उस समय मैं पुलिस जीप पर नहीं था, मैं आड पर था।...........गोलियां करीब 5–10 मिनट चलती रही थी। पुलिस ने कितने राउन्ड फायर किये, मुझे याद नहीं है।.......जीप पर बदमाशों द्वारा किये गये फायरों के निशान नहीं आये थे। हम लोग बोर्ड की आड में थे। बोर्ड का साईज 6x1½ फुट था। जमीन से 5 फुट की ऊंचाई पर बोर्ड गड़ा था।.......बोर्ड के पीछे हम 2–3 लोग छिपे थे, जहां पर हम छिपे थे, वहां से बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे। फायरिंग होने के बाद हम लोग थाने वापस आ गये थे। थाने कितने बजे पहुंच गये थे, समय याद नहीं है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि एस०ओ० आनन्द विजय सिंह द्वारा बोल–बोलकर उससे फर्द लिखाई गई थी। साथ ही साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि फर्द बरामदगी की प्रति सहमति से अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र को दी गयी थी।

37– इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश यादव, जो कि फर्द बरामदगी का साक्षी व हमराही है, ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ....मुझे इस समय याद नहीं है कि घटनास्थल पर मैं कितने बजे गया था।..........पहले रोका टोका तो बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से दो फायर किये थे।........पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों पर कोई फायर नहीं किया था।........मैं घटनास्थल पर बुलाया नहीं गया था। मैं स्वयं अपराधियों की तलाश में रवाना हुआ था, किस अपराध संख्या की तलाश में मैं मामूर था, याद नहीं है, लेकिन चंदन तश्कर के बाबत तलाश में मामूर था।........मैं इस चन्दन की लकड़ी चोरी का विवेचक नहीं था। मुझे कप्तान साहब द्वारा मौखिक रूप से अपराध के निस्तारण हेतु लगाया था। उसकी कोई जी०डी० पत्रावली पर नहीं है। मुझे लगाये जाने का जी०डी० में कोई इन्द्राज नहीं है।...............दिनांक–12.10.2011 को रवाना हुआ था तो मैंने जी०डी० में चंदन की लकड़ी

की वांछित मुलजिमानों को पकड़ने जा रहा हूं, इसका इन्द्राज नहीं किया। यह बात सही है कि आज मैंने पहली बार यह बताया है कि दिनांकस 12.10.2011 को चन्दन की लकड़ी चोरी के अपराधियों को पकड़ने के लिये गया था। यह बात सही है कि मैंने अपने 161 दं०प्र०सं० के बयानों में भी उक्त बात का जिक्र नहीं किया था।......मैंने चोरी की जगह का कोई नक्शा नजरी नहीं बनाया था।.............मुलजिमानों को पकड़ने से पहले नहीं जानता था। पुलिसवालों पर फायर मानू उर्फ मानवेन्द्र व लाल सिंह ने किये थे। गोली किसी को नहीं लगी थी और किस चीज में लगी थी, मुझे याद नहीं है। जब मुलजिमानों को पकड़ा गया था तब सात पुलिस वाले थे। ....मुलजिमान ढिकौली की तरफ से आ रहे थे। बगीचा दूसरी दिशा में है और मुलजिमान दूसरी दिशा से आये थे। मैंने मुलजिमों के बताने के आधार पर रमेश शर्मा के बगीचे की चोरी चंदन की लकड़ी मान ली थी। इसके अलावा रमेश शर्मा के बगीचे की चंदन की लकडी होने का कोई प्रपत्र पत्रावली में नहीं है।............मुलजिमान जहां पकड़े गये थे। वह चालू रास्ता है। आस–पास के लोगों से पूछा गया था, कोई तैयार नहीं हुआ था। यह बात सही है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने मुलजिमों की जामातलाशी नहीं ली गई थी। मुलजिमानों को पकड़ने के बाद मैं थाने आ गया था। मैंने किस मुलजिम को पकड़ा था, मुझे इस समय याद नहीं है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि घटनास्थल पर किस अभियुक्त को किस पुलिसकर्मी ने पकड़ा था तथा किस अभियुक्त से किस पुलिसकर्मी ने जामातलाशी ली थी। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि फर्द की एक–एक प्रति सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ मानू को दी गई थी, जबकि पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या–5 ए वापसी जी०डी० नम्बर 17 समय 16.40 में यह अंकित है कि "अभियुक्तगण की जामा तलाशी लिवाई गई तो अलावा पहने कपड़ों के कोई वस्तु बरामद नहीं हुई।" साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश यादव ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि ....यह बात सही है कि कथित बरामदशुदा मूल फर्द मेरे सामने है और न ही उसकी कोई प्रति पत्रावली में शामिल है। मौके से कोई छर्रे व टिकली आदि प्राप्त नहीं हुई थी।...........जिन असलहों से पुलिस पार्टी पर फायर करना बताया है, वह आज मेरे सामने नहीं है।...........कथित फर्द में तमन्चे चालू हालत में थे, इस बात का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसे नहीं पता है कि उसने किस अभियुक्त को पकड़ा था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मौके से कोई छर्रे व टिकली आदि प्राप्त नहीं हुई थी। जिन असलहों से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, वह आज उसके सामने नहीं है। कथित तमन्चे चालू हालत में थे, इस बात का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की फर्द बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

38– यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन का यह उत्तरदायित्व है कि वह शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मामले में यह भी साबित करें कि प्रश्नगत शस्त्र अथवा तमन्चा चालू हालत में था अथवा नहीं। इसके लिए सम्बन्धित शस्त्र को विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानि कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा जाना आवश्यक है और यदि यह सम्भव नहीं है तो पुलिस को स्वंय इस सम्बन्ध में ट्रैनिंग प्राप्त होने के कारण यह दायित्व है कि वह यह साबित करें कि सम्बन्धित तमन्चा अथवा शस्त्र चालू हालत में था। प्रकरण के फर्द बरामदगी के साक्षी पी०डब्लू०–1 अख्तर अहमद ने अभियुक्तगण से तमन्चे व कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में

अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि ....सर्वमुहर माल तमंचा मानू उर्फ मानवेन्द्र के कब्जे से बरामदशुदा 315 बोर तमंचा एवं खोखा कारतूस 315 बोर तथा पेंट की बायी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सर्वमुहर माल में निकला। तमंचा जो चालू हालत में बरामद किया था, सील मुहर सफेद कपडे पर देखकर कहा कि इस पर आनन्द विजय के हस्ताक्षर है। सर्वमुहर कपडे पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। 315 बोर तमंचा पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। 315 बोर जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–3 तथा खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। अभियुक्त लाल सिंह के सर्वमुहर माल जो सफेद कपडे में सील मुहर है, उसको खोलकर देखा। इस पर मु०अ०सं०–337/11 पर मेरे लेख में है, हस्ताक्षर आनन्द विजय के है, इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। कपडे की सफेद सील मुहर पर वस्तु प्रदर्श–5 तथा 315 बोर तमंचा पर वस्तु प्रदर्श–6 व 315 बोर जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–7 एवं खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–8 डाला गया। 315 बोर का तमंचा बरामदगी के समय चालू हालत में था। अभियुक्त सचिन के कब्जे से बरामदशुदा तमंचा कारतूस सर्वमुहर माल खोलकर देखा गया। सर्वमुहर कपड़े पर मु०अ०सं०–333/11 बनाम सचिन सर्वमुहर कपडे पर एसओ आनन्द विजय के हस्ताक्षर है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–9 डाला गया। तमंचा पर वस्तु प्रदर्श–10 तथा कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श–11, 12 व 13 डाला गया। बरामदगी के समय बरामद तमंचा चालू हालत में है। इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के कब्जे से बरामद कथित तमंचे को वस्तु प्रदर्श–2, अभियुक्त लाल सिंह के कब्जे से बरामद कथित तमन्चे को वस्तु प्रदर्श–6 व अभियुक्त सचिन के कब्जे से बरामद कथित तमन्चे को वस्तु प्रदर्श–10 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–2 राजेश यादव, जो कि पुलिस हमराही था, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व नला में फंसा खोखा व एक जिंदा कारतूस बरामद होने, अभियुक्त लाल सिंह के कब्जे से एक तमन्चा 315 बोर व नाल में फंसा खोखा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद होने और अभियुक्त सचिन के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने का कथन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ....जिन असलहाों से पुलिस पार्टी पर फायर करना बताया हूं, वह आज उसके सामने नहीं है। मैंने कथित बरामदशुदा तमन्चे को स्वयं चलाकर देखा था कि चालू हालत में है या नहीं, इस बात का उल्लेख फर्द में किया गया था या नहीं, मुझे आज याद नहीं है। कथित फर्द में तमन्चे चालू हालत में थे, इस बात का उल्लेख नहीं है। विवेचक को भी मैंने यह बात कि तमन्चे चालू हालत में थे, बताई थी या नहीं, आज याद नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि जिन कथित असलहों से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया , वह साक्ष्य के समय उसके सामने नहीं है। तमन्चे चालू हालत में थे, इस बात का उल्लेख फर्द में नहीं है। विवेचक को उसने तमन्चे चालू हालत में होने की बात बताई थी या नहीं, यह भी उसे याद नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रकट होता है कि उक्त तमंचों के सम्बन्ध में कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट न तो पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही ऐसी कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं, इस तथ्य का कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

39– यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामलों में क्रमशः कागज संख्या–14 ए, 13 ए, 11 ए के रूप में पत्रावलित अभियोजन स्वीकृति को अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित नहीं

किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण से उनके अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में प्रश्न भी पूछा गया तो उन्होंने उसे गलत होना बताया गया, जो कि एक लिपिकीय त्रुटि का परिणाम है।

40– इस प्रकार उपरोक्त सभी साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने जिस प्रकार से कथानक प्रस्तुत किया है, घटनास्थल पर ऐसी कोई घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गयी है। तदनुसार पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित घटना व उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तदनुसार सत्र परीक्षण सं० –294/2012 में अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, दिनेश एवं रामसहाय उर्फ अड़ियल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा –147, 148, 307/149 भा०दं०सं०, सत्र परीक्षण सं०–295/2012 में अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम, सत्र परीक्षण सं०–296/2012 में अभियुक्त लाल सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम व सत्र परीक्षण सं०–297/2012 में अभियुक्त सचिन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम सिद्ध नहीं होते हैं तथा अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, दिनेश, रामसहाय उर्फ अड़ियल धारा–147, 148, 307/149 भा०दं०सं० व अभियुक्त मानू उर्फ मानवेन्द्र धारा –25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त लाल सिंह धारा–25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त सचिन धारा–25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने येाग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण सं० –294/2012, मु०अ०सं०–326/2011, थाना–रक्सा, जिला झांसी के मामले में अभियुक्तगण **मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, दिनेश एवं रामसहाय उर्फ अड़ियल** को आरोप अंतर्गत धारा–147, 148, 307/149 भा०दं०सं० में **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं० –295/2012, मु०अ०सं०–331/2011, थाना–रक्सा, जिला झांसी के मामले में अभियुक्त **मानू उर्फ मानवेन्द्र** को आरोप अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम में **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं० –296/2012, मु०अ०सं०–332/2011, थाना–रक्सा, जिला झांसी के मामले में अभियुक्त **लाल सिंह** को आरोप अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम में **दोषमुक्त** किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं० –297/2012, मु०अ०सं०–333/2011, थाना–रक्सा, जिला झांसी के मामले में अभियुक्त **सचिन** को आरोप अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम में **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, दिनेश एवं रामसहाय उर्फ अड़ियल जमानत पर रहते हुए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष

उपस्थित हैं। अतः उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण मानू उर्फ मानवेन्द्र, लाल सिंह, सचिन, रामप्रताप, रक्षपाल, दिनेश एवं रामसहाय उर्फ अड़ियल धारा–437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्दर दो सप्ताह मु० तीस–तीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू इस आशय से दाखिल करेंगे कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील होती है तो जमानतदार सम्बन्धित अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने हेतु बाध्य होंगे और यदि वे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अग्रसारित की जायेगी। यह बन्धपत्र व जमानतनामा आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेगा।

कार्यालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली सत्र परीक्षण सं० –295/2012, 296/2012, 297/2012 की पत्रावली में भी अनुरक्षित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहित की जावे।

दिनांक–28.07.2026 **(देवाशीष)**
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2,
झाँसी।
आई०डी०–UP1596

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–28.07.2026 **(देवाशीष)**
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2,
झाँसी।
आई०डी०–UP1596

Shubham Kumar, Steno